भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03 JAN 2019

मैत्रेय एजेकेशन ट्रस्ट

पीयूष जैन स्व० श्री भरतेन्द्र सिंह जैन निवासी- 5बी अरूणा नगर जनपद एटा आज दिनाक 10-01-2019 को यह ट्रस्टनामा लिखता हूँ।

चूंकि मेरे पिता स्व० श्री भरतेन्द्र सिंह जैन ने अपनी 50000/- रू (पचास हजार रूपया) मात्र की अपनी निजी संचित धनराशि से एक ट्रस्ट- निर्धन विद्यार्थियों की सहायता, शिक्षा प्रसार, अनाथ बच्चों की सहायता, विधवा औरतों एवं असहाय की सहायता के लिए स्थापित करने की मौखिक (जवानी) घोषणा की थी, तथा उन्होनें इच्छा व्यक्त की थी कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में उनके पुत्र के साथ- साथ अन्य मेरे रिश्तेदार भी इसमें सहयोग दें। परन्तु उनके असमय स्वर्गवास के कारण वे अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर सके और ये उक्त धनराशि मेरे पास छोड गये।

चूंकि मैं अपने स्वर्गवासी पिता की इच्छा पूर्ण करना चाहता था और उनकी पूण्य स्मृति में एक ट्रस्ट स्थापित करना चाहता था।

अतः मैं उक्त 50000/- रू (पचास हजार रूपया) मात्र से इस पत्र के द्वारा एक ट्रस्ट आज के 09.12.2018 को स्थापित करता हूँ कि जिससे (ट्रस्ट को) कि आज दिनांक 09.12.2018 से ही निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अनुसार ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने कर्तव्य व अधिकार की सीमा के अन्तर्गत कार्य करने के लिए अधिकार प्राप्त होता है।

ट्रस्ट की नियमावली निम्नवत् है-

1. इस ट्रस्ट का नाम - मैत्रेय एजूकेशन ट्रस्ट है जो किसी भी कारण से या किसी के द्वारा बदला नहीं जा सकेगा।
2. ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय- 5बी अरूणा नगर एटा (उत्तर प्रदेश)
3. मैं इस ट्रस्ट का संस्थापक हूँ तथा अपने जीवन पर्यन्त में, मैं ही ट्रस्ट का संस्थापक एवं ट्रस्टी

Pyush Jain

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 624913

(2)

रहूंगा । मेरी मृत्यु के उपरान्त मेरी पत्नी इस ट्रस्ट की प्रबन्धक ट्रस्टी अपने जीवन पर्यन्त रहेगी ।

4. दिनांक 09.12.2018 से उक्त 50000/- रू (पचास हजार रूपया) की धनराशि ट्रस्ट की सम्पत्ति हुई। इस धनराशि पर आज से मेरा अथवा मेरे उत्तराधिकारिरों का कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। यह धनरशि तथा इसे अर्जित अन्य धनराशि या सम्पत्ति एक मात्र ट्रस्ट में ही निहित होगी।

राजकीय कोषागार 03 JAN 2019

5. उक्त 50,000/- रू0 (पचास हजार रूपया) तथा इस धनराशि से प्राप्त या अर्जित बयाज व आमदनी या अन्य सम्पत्ति के साथ- साथ यदि किसी भी प्रकार का दान व अनुदान ट्रस्ट की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राप्त होता है तो यह ट्रस्ट की निहित होगा तथा यह ट्रस्ट की सम्पत्ति होगा।

6. यह कि ट्रस्ट की धनराशि व सम्पत्ति या उससे उपर्जित अन्य धनराशि या सम्पत्ति का उपयोग केवल ट्रस्ट के कार्यो व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही होगा। अन्य किसी दूसरे कार्य का उद्देश्य के लिए इसका उपयोग सर्वदा वर्जित है।

7. उक्त 50000/- रू0 (पचास हजार रूपया) ट्रस्ट का मूलधन है। जो किसी भी दशा में व्यय या समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस मूलधन से प्राप्त ब्याज व आमदनी को भी ट्रस्ट के उद्देश्यों में व्यय किया जायेगा। हॉ यदि कोई भी या किसी भी प्रकार का दान, अनुदान या चन्दा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राप्त होता है तो वह केवल ट्रस्ट के उद्देश्यों में ली लगाया या व्यय किया जायेगा।

8. ट्रस्ट की धनरारशि किसी में पोस्टल सेविंत खातें में या ट्रस्ट कमेटी द्वारा स्वीकृत किसी सरकारी/ प्राइवेट बैंक में समय- समय पर जमा कराई जायेगी। तथा खाते का संचालन प्रबन्धक ट्रस्टी (मुख्य ट्रस्टी) द्वारा ही किया जायेगा। यदि ट्रस्ट कमेटी में इसके लिए

T 88 #722

Piyush Jain

........3

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (3) AB 624914

राजकीय कोषागार

03 JAN 2019

विभिन्न विचार हो, तो प्रबन्धक ट्रस्टी की स्वीकृति अन्तिम मानी जायेगी, या प्रबन्धक ट्रस्टी जो भी अन्तिम निर्णय करें।

9. **<u>इस ट्रस्ट के निम्नलिखित मुख्य उद्‌देश्य है-</u>**

1. स्कूलों, कालेजो एवं अन्य सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। ये संस्थाऐं भारतीय संघ में किसी भी स्थान पर स्थापित की जा सकेगी, जिनमें बिना किसी भेदभाव के सभी समुदायों के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जायेगी।
2. शिक्षा के प्रचार- प्रसार एवं विभिन्न प्रकार के तकनीकि पर आधारित शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु शिक्षण संस्थाओं का प्रबन्धन करना एवं सहयोग प्रदान करना।
3. नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालय स्तरीय वाणिज्यिक, औद्योगिक, तकनीकि, व्यवसायिक एवं अन्य सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने हेतु आवश्क संसाधन जुटाना तथा उनका समुचित प्रबन्ध करना।
4. आवश्यकतानुसार प्रत्येक स्तर की शिक्षण संस्थाए, स्कूल कालेज आदि संचालित करना एवं उनका प्रबन्ध करना।
5. छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के उद्‌देश्य से अच्छे शिक्षक तैयार करने हेतु शिक्षक- केन्द्रों की स्थापना करना एवं उनका उचित प्रबन्ध करना।
6. प्रौढ शिक्षा के विस्तार हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित करना।
7. जन सामान्य के ज्ञान एवं बौद्धिक स्तर को उंचा उठाने के उद्‌देश्य से लाइब्रेरी, म्यूजियम व रीडिंग रूम आदि की स्थापना करना एवं उनमें मनोपयोगी पठन पाठन व अन्रू सामग्री उपलब्ध कराना।
8. प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियों, पारितोषिक एवं निशुल्क पुस्तकें आदि उपलब्ध कराना

T 88 #723

Piyush Jain

एवं उनको विकास के समुचित साधन उपलब्ध कराना।

9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार दान, अनुदान, सदस्यत शुल्क आदि ट्रस्ट के सदस्यों एवं अनय व्यक्तियों से व संस्थाओं से प्राप्त करना एवं विभिन्न कंपनियों, फर्मो, सोसाइटियों, बैकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से निर्धारित शर्तो पर ट्रस्ट के पक्ष में ऋण व पूंजी निवेशस प्राप्त करना एवं ट्रस्ट की ओर से आवश्यक होने पर उक्त संस्थाओं में पूंजी निवेश करना। देश विदेश सम उद्देश्य वाली संस्थाओं से सम्पर्क कर उद्देश्यों की पूर्ति करना।

10. समय समय पर प्राकृतिक एवं दैवीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्ति को राहत सामग्री जैसे भोजन, कपडे दवाएं स्थाई एवं अस्थाई भवन आदि उपलब्ध कराना।

11. विकलांगों, अंग, भंग व शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को चिकित्सा एवं अन्य प्रकार की वांछित सहायक उपलब्ध कराना।

12. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था करना एवं अनुत्पादक भूमि कैसे उपजाऊ बनाने ? हेतु विकास परियोजना चलाना।

13. धर्मार्थ, अस्पतालों नर्सिंग होम, चिकित्सा सेवा केन्द्र वृद्धवस्था- आवासग्रहों आदि स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

14. छात्रावासों एवं बोडिंग हाउसों आदि की स्थाना करना।

15. लघु उद्योगों एवं हस्तशिल्प को विकसित करना।

16. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भूमि, भवन, स्कूल, कालेज एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं हेतु सभी प्रकार की चल अचल सम्पत्ति को क्रय करना, विक्रय करना, अधिग्रहीत करना, बन्धक करना पट्टे पर लेना अथवा किसी विधि मान्य प्रकार से उस पर कब्जा करना।

17. ट्रस्ट के सुचारू प्रबन्धक एवं कार्य संचालन हेतु देश के किसी भी भाग में क्षेत्रीय कार्यालय विश्राम ग्रहों आदि की स्थापना करना।

18. ऐसे योग्य विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति देकर या अन्य प्रकार से करना, जो साधन के अभाव में प्राथमिक, माध्यमिक या विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है।

19. विद्यालय विश्वविद्यालय स्तर पर ऐसे परितोषिकों की स्थापना करना या पदक देना अथवा अन्य पुरस्कार देना जो इस ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप हो।

20. समाज में शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए उपयुक्त कार्य करना।

21. निर्धन या असहाय, अनाथ बच्चों व विधवा औरतों की समुचित सहायता करना।

22. ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप साहित्यिक पुस्तकों व पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।

23. यदि कोई व्यक्ति या संस्था ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का दान, अनुदान, चन्द्रा, भेंट आदि देता है तो वह स्वीकार करना तथा उन्हें ट्रस्ट के उद्देश्यों व कार्यो पर समुचित रूप से व्यय करना।

T 88 # 724

Piyush Jain

24. ट्रस्ट के विभागों तथा उसके अन्तर्गत संस्थाओं की प्रगति में यथा योग्य सहयोग देना और उनकी देखभाल करना तथा उनको यथा आवश्यक आर्थिक सहायता देना।
25. ट्रस्ट की प्रत्येक सम्पत्ति तथा उसकी धनराशि व पूंजी के सुप्रबन्धक, संरक्षण की व्यवस्था करना और यदि कभी कोई बृद्धि किसी भी प्रकार के दान, अनुदान चन्दा या भेंज आदि में होती है तो उसमें परिस्थितियों के अनुसार सहयोग देना।
26. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु उपयुक्त साधन जुटाना तथा आवश्यक समितियों तथा उपसमितियों को स्थापित करना तथा उसका संचालन करना।
27. अल्पसंख्यक समाज विशेष कर जैन समाज के शैक्षिक/ जैन समुदाय की उन्नति हेतु सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु अल्पसंख्यक छायावास एवं अल्पसख्यक विद्यालयों की स्थापना करना।
28. आवश्यकतानुसार अल्पसंख्यक समितियों को स्थापित करना।
10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति, कार्य संचालन तथा ट्रस्ट की आय, व्यय का संचालन करने हेतु एक ट्रस्ट समिति (कमेटी) होगी। प्रबन्धक ट्रस्टी के लेकर ट्रस्ट समिति के सदस्यों की संख्या कम से कम 5 तथा अधिक से अधिक 11 होगी।
11. मैं सस्थापक पीयूष जैन के कार्य संचालन एवं उदेश्य पूर्ति के लिए तथा ट्रस्ट की आय व्यय का संचालन व निरीक्षण के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक ट्रस्ट समिति की घोषण करता हूँ-

1. पीयूष जैन पुत्र स्व० श्री भारतेन्द्र जैन निवासी 5बी अरूणा नगर एटा। (मुख्य टस्ट्री)
2. ओमप्रकाश जैन पुत्र स्व० श्री श्यामलाल जैन, कान्ता निकेतन जैन नगर, किशनगण (राजस्थान) (अध्यक्ष)
3. मैत्रेय पुत्र पीयूष जैन निवासी 5बी अरूणा नगर एटा। (उपाध्यक्ष)
4. योगेश कुमार जैन पुत्र गिर्राज बहादुर जैन निवासी 5बी अरूणा नगर एटा। (कोषाध्यक्ष)
5. कुमारी वीना जैन पुत्री गिर्राज बहादुर जैन निवासी 5बी अरूणा नगर एटा। (सदस्य)

12. उक्त धारा 11 की समिति (कमेटी) बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के रूप में कार्य करेगी। मैं संस्थापक जीवन पर्यन्त प्रबन्धक ट्रस्टी के रूप में कार्य करूंगा तदनन्तर अध्यक्ष, प्रबन्धक ट्रस्टी के रूप में कार्य करूंगा तथा समिति की बैठकों (मीटिंग) में मैं ही अध्यक्षता करूंगा।
13. मुझे, संस्थापक प्रबन्धक ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को प्रबन्धक ट्रस्ट का कार्य अपने जीवनकाल में करने के लिए नामित कर दूँ। मुझको यह भी अधिकार होगा कि मैं अपनी मृत्यु के बाद प्रबन्धक ट्रस्टी प्रबन्धक का कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को अपनी वसीयत या अन्य किसी दस्तावेज द्वारा नामांकित कर दूं।
14. यदि मैं अपने जीवनकाल में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रबन्धक ट्रस्टी नामांकित करता हूँ तो ऐसा नामांकित व्यक्ति को मेरी मृत्यु के उपरान्त प्रबन्धक ट्रस्टी के रूप में कार्य करने का जब तक अधिकार न होगा, तब तक

T 88 #725

Piyush Jain

.....6

कि मैं उसे अपनी वसीयत या अन्य किसी दस्तावेज द्वारा मृत्योपरान्त भी प्रबन्धक ट्रस्टी का कार्य करने के लिए नामांकित न कर दूं। परन्तु यदि ऐसा नामांकित व्यक्ति मेरा बडा पुत्र या उससे छोटा पुत्र हुआ तो उसके लिए मेरी मृत्यु के उपरान्त प्रबन्धक ट्रस्टी का कार्य करने के लिए किसी वसीयत या अन्य किसी दस्तावेज की आवश्यकता न पडेगी। फिर भी यदि मैं किसी व्यक्ति को वसीयत या अन्य दस्तावेज द्वारा प्रबन्धक ट्रस्टी नामांकित करता हूँ तो ऐसा व्यक्ति मेरे पुत्र या पुत्रों या पौत्रों के रहते हुए भी प्रबन्धक ट्रस्टी रहेगां परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे नामांकित व्यक्ति के उपरान्त सर्वप्रथम मेरी पत्नी उसके बाद मेरा बडा पुत्र उसके बाद फिर जो भी मेरा बडा पुत्र आयु के अनुसार जीवित होगा वह पुत्र प्रबन्धक ट्रस्टी होगा। किसी पुत्र के जीवित न होने पर जो भी उसमें बडा पौत्र होगा वह प्रबन्धक ट्रस्टी होगा। पौत्रों के उपरान्त उनके बडे पुत्र को जो भी उम्र के अनुसार जीवित होगा वह प्रबन्धक ट्रस्टी होगा। इसी प्रकार आगे की पीडितों का क्रम चलेगा।

15. यदि मैं किसी व्यक्ति को अपनी वसीयत या अन्य किसी दस्तावेज के द्वारा प्रबन्धक ट्रस्टी नहीं नामांकित करता हूँ तो मेरी मृत्योपरांत क्रमशः पहले मेरी पत्नी, फिर बडा पुत्र, फिर उससे छोडा पुत्र फिर जो पुत्र जीवित होगा वह प्रबन्धक ट्रस्टी होगा। अगर कोई पुत्र जीवित नहीं है तो वह पुत्रों की मृत्यु के उपरान्त क्रमशः पोत्रों में जो भी बडा पौत्र उम्र के अनुसार जीवित होगा वह प्रबन्धक ट्रस्टी होगा। पौत्रों की मृत्यु के उपरान्त इसी क्रम में उनके पुत्र व पौत्र प्रबन्धक ट्रस्टी होगें। पुत्र न होने की स्थिति में जो भी बडी संतान होगी वो प्रबन्ध ट्रस्टी होगी।

16. यह कि उत्तराधिकारी प्रबन्धक ट्रस्ट या मेरे द्वारा नामांकित प्रबन्धक ट्रस्टी के अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रबन्धक ट्रस्टी नामांकित करने का अधिकार होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मेरे पुत्र, पौत्र या उनके पुत्र व पौत्र व मेरे परिवार में कोई अन्य पुरूष जीवित है, तो पहले पुत्रों में से फिर पौत्रों में से फिर इसी क्रम में उनके पुत्रों में से फिर उनके पौत्रों में से फिर अन्य पुरूष उत्तराधिकारी ही प्रबन्धक ट्रस्टी नामांकित किया जा सकेगा।

17. यदि उपरोक्त 14,15,16 धाराओं के अनुसार भी कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है जो प्रबन्धक ट्रस्टी हो सकता तो ट्रस्टी समिति को अधिकार होगा कि वह दो तिहाई बहुमत से किसी ट्रस्टी से प्रबन्धक ट्रस्टी चुन ले।

18. ट्रस्ट समिति के रिक्त स्थान को भरने के लिए प्रबन्धक ट्रस्टी किसी वयस्क व्यक्ति को नामांकित कर सकता है, अगर रिक्त स्थानों को छोडकर ट्रस्ट समिति सदस्यों की संख्या पांच से अधिक है तो ऐसे रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए किसी को नामांकित करने के लिए प्रबन्धक ट्रस्टी बाध्य नहीं है।

19. ट्रस्ट समिति का एक सचिव होगा जो प्रबन्धक ट्रस्टी की आज्ञा व ट्रस्ट समिति के निर्देशानुसार ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक व अन्य कार्य करेगा।

T 88 # 726

Piyush Jain

.....7

तथा उनका रिकार्ड रखेगा। सचिव आय- व्यय का हिसाब रखेगा। आर्थिक बजट तैयार करेगा। तथा वही खाते रखेगा। वे सभी हिसाब किताव वजट आदि समय समय पर ट्रस्टी समिति तथा प्रबन्धक ट्रस्टी के समक्ष निर्देश एवं निरीक्षण करने तथा पारित या स्वीकृत करने के लिए रखेगें। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रबन्धक ट्रस्टी की आज्ञा व निर्देश अन्तिम व मान्य होगें।

20. प्रबन्धक ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह आवश्यकता पडने पर विभिन्न विभागों और कार्यो के लिए व सचिव की सहायता के लिए आवश्यकतानुसार उपसचिवों की नियुक्त करे। उपसचिवों की नियुक्ति प्रबन्धक ट्रस्टी सचिव की राय लेकर नामांकन द्वारा करेगा। आवश्यकता पडने पर प्रबन्धक ट्रस्टी उपसचिवों की नियुक्ति के लिए ट्रस्ट समिति से राय ले सकता है। लेकिन प्रबन्धक का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
21. उपसचिव प्रबन्धक ट्रस्टी व सचिव की आज्ञा के अनुसार व ट्रस्ट समिति के निर्देशानुसार अपने- अपने विभागों के कार्य करेगें।
22. प्रबन्धक ट्रस्टी को अधिकार होगा कि वह उपसचिव को बदल दे या हटा दे। साथ ही साथ सचिव भी प्रबन्धक ट्रस्टी की आज्ञा लेकर उपसचिव को बदल या हटा सकता है।
23. साधारणतः ट्रस्टी समिति का निर्णय बहुमत के द्वारा होगा परन्तु यदि मत बराबरी हुई तो अध्यक्ष अर्थात प्रबन्धक ट्रस्टी को निर्णयात्मक मत (Casting Vote) देने का अधिकार है।
24. ट्रस्टी की कार्य पद्धति में, प्रबन्धक, ट्रस्ट समिति के दो तिहाई बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकता है जो इस ट्रस्ट के लिए हितकर हो।
25. प्रबन्धक ट्रस्टी समिति के दो तिहाई बहुमत को लेकर किसी भी ट्रस्टी सदस्य को अवांछनीय या ट्रस्ट के विरूद्ध कार्य करने के कारण या भ्रष्ट आचरण के कारण हटा सकता है परन्तु हटाने से पहले ऐसे ट्रस्टी को अपनी स्थिति के स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाना आवश्यक है।
26. ट्रस्ट समिमि की बैठकें (मीटिंग्स) हर तीन माह के उपरान्त होगी। लेकिन किसी कारणवश यह तीन माह के लिए स्थगित की जा सकती है परन्तु यह आवश्यक है कि ट्रस्ट समिति की मीटिंग छः माह के एक बार अवश्य हो अर्थात् एक वर्ष में दो बैठकें आवश्यक है। प्रबन्धक ट्रस्टी अगर आवश्यक समझेगाा तो वह बीच में भी आवश्यक बैठक बुला सकता है। विशेष स्थिति में ट्रस्ट की बैठक 24 घंटे तक नोटिस देकर भी बुलाई जा सकती है।
27. ट्रस्ट समिति के सदस्यों की बैठक की सूचना दिन व दिनांक तथा समय के साथ सचिव, प्रबन्धक ट्रस्टी की आज्ञा देकर या निर्देशानुसार प्रत्येक ट्रस्टी सदस्य के पास भेजेगा।
28. <u>ट्रस्ट समिति की बैठकों में निम्नलिखित विषयों पर विचार होगाः-</u>

(1) ट्रस्ट तथा उसके विभागों के वार्षिक विवरणों पर।

T 88 #727

Piyush Jain

.....8

(2) आय व्यय का हिसाब तथा आगामी समय के वजट पर।
(3) आय- व्यय का निरीक्षण व परीक्षक की नियुक्ति।
(4) ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्रगति तथा विकास योजनाओं पर तथा उद्देश्यों की पूर्ति के सही हलों पर।
(5) अन्य आवश्यक विषय, प्रबन्धक ट्रस्टी की आज्ञा से।

29. बैठकों का कोरम बैठक के समय कार्यरत समस्त ट्रस्टियों की संख्या के आधे सदस्यां की उपस्थिति पर ही पूर्ण मना जायेगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि धारा 16,24 तथा 25 सम्बन्धी कोई भी कार्यवाही करने के लिए समस्त सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। किसी एक ट्रस्टी की गैर मौजूदगी में भी कोरम पूर्ण नहीं माना जायेगा।

30. ट्रस्ट समिति व उसके सदस्यों के कर्तव्य व अधिकार निम्नलिखित होगें-
(1) प्रबन्धक ट्रस्टी की अनुपस्थिति में, ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन उपस्थित ट्रस्टियों में से बहुमत द्वारा कर लेगी।
(2) ट्रस्ट की धनराशि तथा सम्पत्ति को केवल ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग करना।
(3) ट्रस्ट की धनराशि व सम्पत्ति की वृद्धि के लिए तथा ट्रस्ट की उन्नति के लिए तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यदि कोई भी या किसी प्रकार का दान, अनुदान, चन्द्रा या भेंट प्राप्त होती है, तो उसे स्वीकार करना तथा उन्हें ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में ही लगाना।
(4) ट्रस्ट की धनराशि तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति की पूर्ण रक्षा करना।
(5) ट्रस्ट की धनराशि तथा सम्पत्ति को ट्रस्ट के किस उद्देश्य पूर्ति में या कार्य में, किस प्रकार उपयोग किया जाये, इसका निर्णय करना।
(6) ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप आवश्यकतानुसार कार्य करना।
(7) ट्रस्टी सदस्यों में ट्रस्ट सम्बन्धित कार्यो का विभाजन करना।
(8) यदि आवश्यकता पडे तो ट्रस्टी सदस्यों का नामांकन प्रबन्धक ट्रस्टी सदस्यों की सलाह से कर सकता है। किन्तु इसके नामांकन की स्वीकृति ट्रस्टी समिति के बहुमत द्वारा लेनी आवश्यक होगी। ऐसे नामांकित ट्रस्टी का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। तथा इन्हें ट्रस्टी समिति की बैठकों की कार्यवाही में केवल राय मशिवरा देने का अधिकार होगा। अपने मत का प्रयोग (Casting Vote) का अधिकार प्राप्त न होगा।
(9) ट्रस्ट की धनराशि, सम्पत्ति हिसाब किताब, क्रिया कलाप आदि पर नियन्त्रण करना।
(10) ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की तरफ से चल व अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय करके, ट्रस्ट के स्वामित्व की सम्पत्तियों पर कब्जा प्राप्त करने एवं कब्जा प्रदाने कराने, शिक्षण संस्थाओं को चलाने हेतु उपयोगी भवनों का निर्माण कराने, फण्ड निवेश

T 88 # 728

Piyush Jain

........9

आदि का पूर्ण अधिकार होगा।

(11) ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की ओर से बैंक आदि में खाते खोलने, बंद करने, एफ.डी. आ. करने ऋण लेने आदि कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण–

मैं संस्थापक पीयूष जैन यह ट्रस्टनामा शुद्ध मस्तिष्क, सदबुद्धि एवं स्वेच्छापूर्वक सोच समझकर बिना किसी गौर दवाव में लिखा है। ताकि सनद रहे तथा समय पर काम आवे। प्रथम चार पैराग्राफ तथा धारा 1 लगायत 30 मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही है तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के हित में है। मैनें इसे लिखते हुये कोई बात छिपाई नहीं है। ईश्वर इस ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करें।

Piyush Jain

दिनांकः– 10.01.2019 Piyush Jain

(पीयूष जैन)
प्रबन्धक ट्रस्टी एवं अध्यक्ष
मैत्रेय एजूकेशन ट्रस्ट
5 बी अरूणा नगर एटा।

गवाह–(1) पवन कुमार पुत्र स्व० विश्वप्रकाश
नि० - नयी बस्ती एटा 9837450730

गवाह–(2) धर्मेन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व० नत्थूसिंह
नि० सरन्ड ज० अलीगढ़, एटा
9639236954

ड्राफ्टकर्ता सुभाषचन्द्र सक्सेना एडवोकेट Advocate
तहसील सदर एटा। 10.01.19
मो०नं०– 9410803336

T 88 # 729